

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

जनपद-..... परिशिष्ट 'क' विकास खण्ड -.....

गौरा देवी कन्याधन योजना हेतु आवेदन-पत्र

1. छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. छात्रा की अन्य बहनों का नाम 1.....आयु.....
2.....आयु.....
3.....आयु.....
5. संस्थागत/व्यक्तिगत.....
6. छात्रा को इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु आवंटित अनुक्रमांक.....
(आवंटित अनुक्रमांक का उल्लेख अवश्य किया जाये)
7. (क) छात्रा का स्थाई पता.....
.....
(ख) पत्र व्यवहार का पता.....
.....
8. जन्मतिथि.....
9. जाति.....(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/सामान्य जाति)
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।
10. अभिभावक की आय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत बी0पी0एल अथवा आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
.....
11. विकल्प चुनें एन.एस.सी.....एफ.डी.आर.....
(एन.एस.सी हेतु डाकघर द्वारा निर्गत फार्म तथा एफ.डी.आर हेतु बैंक का निर्गत एफ.डी.आर फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ हस्ताक्षर सहित, संलग्न करें।)
12. बैंक का नाम.....खाता संख्या.....
13. दूरभाष संख्या/मोबाइल नं0.....
14. छात्रा विवाहित है अथवा अविवाहित उल्लेख करें.....

फोटो चिपकाएँ

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी मेरे संज्ञान मे सत्य है तथा इसमें किसी भी तथ्य को किसी भी प्रकार से छुपाया नहीं गया है भविष्य मे किसी तथ्य के गलत पाये जाने की दंशा मैं गौरादेवी कन्याधन योजना से प्राप्त धनराशि को ब्याज सहित वापस कर दूंगी।

दिनांक

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक की घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं गौरा देवी कन्याधन योजना मे दो पुत्रियों से अधिक आवेदन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो मेरे पाल्य का आवेदन - पत्र निरस्त कर दिया जाये। इसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

पिता/ अभिभावक के हस्ताक्षर

(2)

संलग्नको का विवरण (अनुपयुक्त को काट दें तथा उपयुक्त पर सही का निशान लगायें)

1. दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न हैं। हाँ/नहीं
2. (क) क्या आवेदिका एस.सी./एस.टी. वर्ग से सम्बन्धित है? हाँ/नहीं
(ख) यदि हाँ तो क्या राजस्व विभाग द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न है? हाँ/नहीं
3. (क) क्या आवेदिका का परिवार बी०पी०एल श्रेणी का है? हाँ/नहीं
(ख) यदि हाँ तो बी०पी०एल कार्ड का नम्बर अंकित करें। हाँ/नहीं
(ग) क्या बी०पी०एल कार्ड की कापी संलग्न है? हाँ/नहीं
4. एस.सी./एस.टी./बी०पी०एल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य वर्ग की छात्राओं हेतु क्या राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं
5. क्या हाईस्कूल के अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न है? हाँ/नहीं
6. क्या परिवार रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न है? हाँ/नहीं
7. एन.एस.सी./एफ.डी.आर हेतु पोस्ट आफिस/बैंक के द्वारा निर्धारित छात्रा द्वारा हस्ताक्षरित एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (फार्म) संलग्न है- हाँ/नहीं
8. बैंक से एफ.डी.आर बनाये जाने हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं के बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न है जिसमें खाता संख्या अंकित हो। हाँ/नहीं
9. ग्राम प्रधान/वार्ड मेंबर द्वारा विवाहित/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं
10. क्या आवेदिका द्वारा अपना पहचान पत्र संलग्न किया गया है। हाँ/नहीं

प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदिका.....पुत्री.....
.....मेरे विद्यालय में 12 वी की छात्रा है मेरे द्वारा इनके द्वारा आवेदन पत्र के समस्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना अंकित करा दी गई है तथा समस्त वांछित अभिलेखों को संलग्न करा दिया गया है।

दिनांक

विद्यालय की मुहर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य का नाम

सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जांच

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्रीमती.....आत्मजा.....

पता.....विकास खण्ड.....के द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की जांच की गयी

1. जाँच के उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में आता है अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सहित आवेदिका के पिता की दो पुत्रियों का अभी तक गौरादेवी नहीं मिला है।
2. जाँच के उपरान्त आवेदन-पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है अतः गौरादेवी कन्याधन योजना में लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। आवेदिका के पिता की दो पुत्रियों को पूर्व में ही योजना का लाभ मिल चुका है अथवा अन्य जो भी कारण हो उसका विवरण दिया जायें।

.....
.....
.....

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी का नाम

दिनांक.....

विकास खण्ड.....